

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:संस्था/चिअ/एटी/प-2/2009/144

दिनांक: 28-10-2009

आदेश

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.1(1) चिस्वा/2/09 दिनांक 28-10-2009 के द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5(1)चिस्वा/2/09 एवं प.1 (1)चिस्वा/2/09 दिनांक 22-10-2009 में किये गये चिकित्सकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त शिथिलता राज्य निर्वाचन आयोग की आई.डी. संख्या 03 दिनांक 27-10-2009 के अनुसरण में प्रदान की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त स्थानान्तरण आदेश विभाग की वेबसाईट (www.rajswasthya.nic.in) पर उपलब्ध है, से प्राप्त कर आपके अधीन*पदस्थापित जिन चिकित्सकों के स्थानान्तरण हुये है को नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त करें तथा जो चिकित्सक स्थानान्तरण होकर आपके अधीन पदस्थापित किये गये है, को तुरन्त कार्यग्रहण करवायें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., जयपुर।
5. निदेशक (ई.एस.आई./पक/एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडीकल/डेन्टल कालेज/अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय सघ।
7. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान
8. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी., जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. अधीक्षक, के.एन.टी.बी.डी.सी., अजमेर।
11. सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी, *उभारी, के-डीप तर्कर कम, गुलना लय /*
12. सम्बन्धित चिकित्सक
13. आदेश/निजी पत्रावली

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।